न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	12.01.2017	16.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....आवेदक

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम जाति सिन्धी निवासी खादी भण्डार की गली मोती बाग टोंक जिला टोंक मैसर्स शीतल प्रोविजन स्टोर काफला गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स शीतल प्रोविजन स्टोर काफला गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक

3–श्री कमलेश जैन पुत्र श्री बिशन लाल प्रोपरायटर मैसर्स पंकज सेल्स एजेन्सीज तेलियों के तालाब के पास सरोवर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 टोंक जिला टोंक राज. निवासी तेलियों के तालाब के पास सरोवर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 टोंक जिला टोंक

4– मैसर्स पंकज सेल्स एजेन्सीज तेलियों के तालाब के पास सरोवर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 टोंक जिला टोंक राज.

5–श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3, गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज. निवासी पुलिस थाने के सामने निवाई जिला टोंक

6– मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3, गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज.

7–श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री के पास जयपुर राज. निवासी ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री के पास जयपुर राज.

8– मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री के पास जयपुर राज.

9–श्री डी.के. अस्थाना निवासी क्वार्टर नं. 8।। 78, ओबरा जिला सोन भद्रा उत्तर प्रदेश नॉमिनी मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश।

10– मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश। ...... अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थीगण अनु0।

:–निर्णय–: दिनांक **16.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2016 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स शीतल प्रोविजन स्टोर काफला गली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में लगभग 200 नग मूल पैक **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 60 ग्राम पैक के रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, के पैक्ड अवस्था में 60 ग्राम पैक के 16 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** के 60 ग्राम पैक के 16 मूल पैक को चार–चार नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1283 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1283 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम ने मौक पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया तो आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में श्री मोहनदास पुत्र श्री तोताराम ने वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स पंकज सेल्स एजेन्सीज तेलियों के तालाब के पास सरोवर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 टोंक जिला टोंक राज. से क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स पंकज सेल्स एजेन्सीज तेलियों के तालाब के पास सरोवर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 टोंक जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3, गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रेषित किए।

आवेदक द्वारा मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3, गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज तथा मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री के पास जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रेषित किए।

आवेदक द्वारा मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री के पास जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज तथा मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश का वारन्टी बिल प्रेषित किए।

आवेदक द्वारा मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 1725 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 97 / एक्ट / 2016 / 150 दिनांक 10.03.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)** व **3(1)(zf)(B)(ii)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 30.03.2017 को एडवोकेट श्री अनिमेष ओषा द्वारा वकालतनामा पेश करने का अण्डर टेकिंग दी गई जिससे जाहिर है कि अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी हैं। अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण भी कभी उपस्थित नहीं हुए। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **बिस्किट (मेरी लाईट प्रिया गोल्ड ब्राण्ड** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)** व **3(1)(zf)(B)(ii)** एवं धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं.5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 9 व 10 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/–(अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0